तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
13.01.26	पत्रावली पेश हुई। वकुलायन फरीकेन उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादीगण अभिभाषक श्री लक्ष्मीकांत रंगा उपस्थित। पत्रावली में सिविल प्रक्रिया संहिता के धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 की ओर से जरिये अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। • प्रार्थना पत्र में वर्णित संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हस्तगत प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा कब्जा की वास्तविक रिपोर्ट हेतु तहसील राजस्व बीकानेर को आदेशित किया था, जिसके अनुक्रम मं तहसीलदार, बीकानेर एवं उसके अधीनस्थ अधिकारी, पटवारी द्वारा मौका बाद जांच में रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें इस बात का स्पष्ट अवलोकन है कि मौके पर वादगत भूमि पर किसी प्रकार की कोई रिहायशी कॉलोनी विकसित नहीं है/न काटी गई है, न ही भूमि का उपयोग रिहायशी किया गया है, जो कि माननीय नयायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है और उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से यह पूर्ण रूप से साबित है कि मौके पर किसी प्रकार का रिहायशी उपयोग, उपभोग नहीं किया जा रहा है। भूमि का आज भी उपयोग कृषि भूमि के रूप में किया जा रहा है तथा जो मुकदमा सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह गलतफहमी के आधार पर प्रस्तुत किया गया है इसलिए वादी के विरुद्ध कोई वादकारण हासिल नहीं रहता है और वाद कारण के अभाव में दावा काबिले खारिज है। • उक्त प्रार्थना पत्र के संबध में उभयपक्ष की बहस का श्रवण किया गया।	

- स्टेट की ओर से तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर उपस्थित। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अभिभाषक उपस्थित। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि कृषि उपयोग में ही ली जा रही है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार से कानून की अवज्ञा नहीं की गयी है। वादगत भूमि पर किसी प्रकार का गैर–कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा स्टेट की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में भी स्पष्ट उल्लेख है कि वादगत भूमि खाली है ऐसे में प्रार्थी/स्टेट को प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार से कॉज ऑफ एक्शन हासिल नहीं है तथा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि पर 175–177 की कार्यवाही लंबित रहने से प्रतिवादी अपनी कृषि भूमि पर किसी प्रकार से कृषि प्रयोजनार्थ, भूमि सुधार, नहीं कर पा रहे हैं अतः श्रीमान जी प्रतिवादीगण द्वारा वादगत भूमि पर किसी प्रकार का गैर–कृषि कार्य नहीं किए जाने की स्थिति में भी यह प्रार्थना पत्र 175–177 आरटीए प्रस्तुत किया जाने से अप्रार्थी को अपूरणीय हानि कारित हो रही है। प्रार्थना पत्र 175–177 आरटीए खारिज फरमाया जावे।
- इसके अतिरिक्त अभिभाषक प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा दृष्टांत RLW 2013 (1) RJ 81 इस आधार पर पेश किया गया कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तुच्छ मुकदमों को इस आधार पर जारी रखना कि इसे खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत कोई प्रावधान नहीं है। जिसमें धारा 151 सीपीसी प्रावधानों के तहत न्यायालय अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे वाद खारिज कर सकता है।
- हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व तहसीलदार (राजस्व) बीकानेरद्वारा प्राप्त रिपोर्ट/जवाब का अवलोकन किया।

- यह वादपत्र/प्रार्थना पत्र स्टेट ऑफ राजस्थान की ओर से जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175–177 आरटीए के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम किश्मीदेसर, बीकानेर के खसरा नंबर 613/2 ता 1.26 हैक्टयर भूमि पर गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिए जाने बाबत बिना अनुज्ञा, भूमि का रूपांतरण कराए बिना कृषि भूमि को गैर–कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग लेने बाबत प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार अभिलेखिय स्थिति इस प्रकार है कि वादगत भूमि ग्राम किश्मीदेसर, बीकानेर के खसरा नंबर 613/2 ता 1.26 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्जशुदा है तथा प्रार्थी/स्टेट की ओर से प्रस्तुत जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक 1834 दिनांक 08.12.2026 अनुसार वादगत भूमि खसरा नंबर 613/2 तादादी 1.2600 हैक्टयर भूमि प्रतिवादीगण अमित गहलोत वगै. के नाम दर्जशुदा है व मौके पर उक्त भूमि वर्तमान में खाली है, वर्तमान में किसी गैर कृषि प्रयोजन हेतु प्रयोग में नहीं आ रही है।
- ऐसे में धारा 177 आरटीए का उद्देश्य काश्तकार को बेदखल करना नहीं अपितु बिना भूमि संपरिवर्तन करवाए एवं राजस्व जमा करवाए कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है व उक्त जैर प्रकरण में स्टेट की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर उक्त भूमि वर्तमान में खाली है। मौके पर उक्त भूमि वर्तमान में खाली है। मौके पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं है और न ही प्लॉटिंग की हुई है और न ही सड़के बनी हुई है। वर्तमान में किसी गैर–कृषि प्रयोजन हेतु प्रयोग में नहीं आ रही है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में प्रार्थी पक्ष स्टेट को प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादकारण हासिल नहीं होता है। उक्त प्रश्न गत भूमि बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 175–177 आरटीए के तथ्य बोगस व बार्ड बाई लॉ की श्रेणी में है।
- अतः न्यायालय का उद्देश्य न्यायिक सिद्धातों अनुसार पर्याप्त न्याय का है। ऐसे में प्रार्थी/प्रतिवादीगण के विरुद्ध

175–177 आरटीए की कार्यवाही जैर रहने से अपूरणीय हानि का कारित होना संभव है।

- उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादीगण अंतर्गत आदेश धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र/वादपत्र अंतर्गत धारा 175–177 आरटीए बोगस लिटिगेशन, प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादकारण हासिल नहीं होने से इस स्तर पर खारिज किया जाता है। जहां तक भविष्य में बिना अनुज्ञा वादगत भूमि पर गैर कृषि उपयोग का प्रश्न है राज्य पक्ष इस संबंध में काश्तकारी अधिनियम कें प्रावधानों के तहत कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 13.01.26 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
शहर (बीकानेर)
सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर